

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 487]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2021—अग्रहायण 25, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2021

क्र. एफ-ए-3-42-2017-1-पांच-(88).—मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-42-2017-1-पांच (53), भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

- (i) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, "या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 3क के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, "या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (ग) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

"बशर्ते कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली और मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (5) के तहत अधिसूचित सेवाओं पर उपरोक्त मद (ख) और (ग) में शामिल कुछ भी लागू नहीं होगा";

- (iv) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (ड) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“बशर्ते कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली और मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (5) के तहत अधिसूचित सेवाओं पर, उपरोक्त मद (ड) में शामिल कुछ भी लागू नहीं होगा”.

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2021

क्र. एफ-ए-3-42-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-42-2017-1-पांच-(88), दिनांक 16 दिसम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 16th December 2021

No. F-A-3-42-2017-1-V (88).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (4) of Section 9, sub-section (1) of Section 11, sub-section (5) of Section 15 and Section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments further to amend in this department's Notification No. F-A-3-42-2017-1-V(53), dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the TABLE,—

- (i) against serial number 3, in column (3), in the heading “Description of Services”, the words “or a Governmental authority or a Government Entity” shall be omitted;
- (ii) against serial number 3A, in column (3), in the heading “Description of Services”, the words “or a Governmental authority or a Government Entity” shall be omitted;
- (iii) against serial number 15, in column (3), in the heading “Description of Services”, after item (c), the following shall be inserted, namely,—

“Provided that nothing contained in items (b) and (c) above shall apply to services supplied through an electronic commerce operator, and notified under sub-section (5) of Section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017).”;

- (iv) against serial number 17, in column (3), in the heading “Description of Services”, after item (e), the following shall be inserted, namely,—

“Provided that nothing contained in item (e) above shall apply to services supplied through an electronic commerce operator, and notified under sub-section (5) of Section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017).”

2. This notification shall come into force with effect from 1st day of January, 2022.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.